समक्ष न्यायालय :— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश)
समक्ष : मिनी गुप्ता

Criminal RCT Case No. 3234/2022
Filing No.24349/2022
CNR No. MP09010-30800-2022
Filing Date : 28-04-2022

—:: नि र्ण य ::—

[निर्णय की तारीख 11.08.2026]
प्रकरण सं. 3234/2022 आर.सी.टी.

(**पुलिस थाना** राजेन्द्र नगर, **तहसील**—इन्दौर, **जिला** —इन्दौर मध्य प्रदेश के **अपराध क्रमांक** 856/2021 **अपराध अन्तर्गत धारा** 498ए, 506 भा.दं.सं. से उद्भूत प्रकरण)

परिवादी/अभियोजन	म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र राजेन्द्र नगर, जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री राकेश कटारिया।
अभियुक्त	सुभाष पंवार, आयु—42 वर्ष, आत्मज श्री भेरुलाल पंवार, निवासी—ग्राम बांगला पोस्ट बाछिनपुर, तहसील व जिला धार (मध्य प्रदेश) हा.मु. 493—एस सेक्टर सिलीकान सिटी, जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अनिल सोनी अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	23.05.2006 से 09.10.2021
प्र.सू.रि. की तारीख	09.10.2021
आरोप–पत्र की तारीख	28.04.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	28.10.2022
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तारीख	06.08.2026
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	11.08.2026
निर्णय की तारीख	11.08.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	दोषमुक्त

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 468 बी.एन.एस.एस. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि
1.	सुभाष पिता श्री भेरुलाल पंवार	निरंक	28.04.22	धारा 498ए व 506 भा.दं.सं.	दोषमुक्ति	कोई दण्डादेश अधिरोपित नहीं	निरंक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	प्रवीणा पंवार	फरियादी साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
''निरंक''		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
''निरंक''		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1/अ.सा. 1	लेखी आवेदन–पत्र
2	प्रदर्श पी. 2/अ.सा. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी. 3/अ.सा. 1	घटना स्थल का मानचित्र
4	प्रदर्श पी. 3/अ.सा. 1	जप्ती पत्रक
5	प्रदर्श पी. 5/अ.सा. 1	फरियादी के पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा :

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
''निरंक''		

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
''निरंक''		

घ. आवश्यक वस्तुएं :

स. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
''निरंक''		

1 अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए व 506 के अंतर्गत् इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 23.05.2006 से 09.10.2021 के मध्य स्थान 493, एस सेक्टर सिलीकान सिटी, इन्दौर में फरियादी प्रवीणा पंवार से शादी होने के उपरांत पति होते हुए फरियादी से तानाकसी व मारपीट कर तलाक देने की धमकी देकर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की एवं फरियादी प्रवीणा पंवार एवं उसके दोनों बच्चों को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.10.2021 को फरियादी प्रवीणा पंवार ने आरक्षी केन्द्र राजेन्द्र नगर इन्दौर पर उपस्थित होकर इस आशय का एक लेखी आवेदन–पत्र पेश किया की उसकी शादी दिनांक 21.04.2006 को सुभाष पंवार के साथ हिन्दु रीति रिवाज से हुई थी। पति सुभाष उसे पसंद नहीं करते और शादी के एक महीने बाद दिनांक 23.05.2006 के बाद से ही उससे मारपीट करने लगे थे तथा नित प्रतिदिन किसी न किसी बात पर मारपीट कर बोलते थे कि वह पसंद नहीं है इसलिए तलाक दे दो, नहीं तो वो

उसे परेशान करेगा। पति दोनों बच्चों पर भी हाथ उठाते और उसे चप्पल जूतों से मारते, पति घर पर ध्यान नहीं देते थे और खानाखर्चा भी नहीं देते थे और कहते थे कि वह तलाक दे, जब तक तलाक नहीं देगी उसे घरखर्च के रुपये नहीं देगा और तलाक देकर दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। पति 15 वर्षों से बिना किसी कारण के उसके साथ मारपीट करते थे और धमकाते थे कि शिकायत की तो उसे और बच्चों को जान से खत्म कर देगा। पति के मोबाईल से किसी महिला मित्र के फोटो देखे थे तथा पति उस महिला के कारण उसे तलाक देना चाहते थे और तलाक देने के लिए विगत् 15 वर्षों से मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर रहे है, इससे उसके परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे थे और बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। उसने, पति द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में मम्मी, बहन व भाई को कई बार बताया था लेकिन पति के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आ रहा था। फरियादी के आवेदन के आधार पर आरक्षी केन्द्र राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक–856/2021 पर धारा 498ए, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया गया।

3 अभियोजन प्रकरण के सुसंगत तथ्य अग्रेतर यह है कि विवेचना के अनुक्रम में साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये, घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया गया, जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4 अभियुक्त ने आरोपित अपराध कारित करने से इंकार किया है एवं विचारण किये जाने की मांग की। अभियुक्त पर जिन धाराओं के अंतर्गत अपराध का विचारण है, उनके संबंध में साक्षी की साक्ष्य में ऐसी कोई

परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुईं जिनके संबंध में अभियुक्त का धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत स्पष्टीकरण लेख किया जा सके। अतः अभियुक्त का धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया। अभियुक्त का मौखिक परीक्षण किये जाने पर उन्होंने इस प्रकरण में असत्य आधारों पर मिथ्या आलिप्त किया जाना प्रकट किया है।

5 अवधार्य प्रश्न :–

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.05.2006 से 09.10.2021 के मध्य स्थान 493, एस सेक्टर सिलीकान सिटी, इन्दौर में फरियादी प्रवीणा पंवार से शादी होने के उपरांत पति होते हुए फरियादी से तानाकसी व मारपीट कर तलाक देने की धमकी देकर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की ?

02 क्या अभियुक्त ने आक्षेपित दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रवीणा पंवार एवं उसके दोनों बच्चों को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

।। <u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार</u> ।।

<u>अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निराकरण</u> :–

(अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 व 2 को साक्ष्य की पुनरावृत्ति के परिहार्य एवं उचित क्रमबंधन हेतु एक साथ निराकृत किया जा रहा है।)

6 फरियादी प्रवीणा पंवार अ.सा. 01 ने अभियुक्त को जानने, पहचानने

का कथन करते हुए उसकी शादी अभियुक्त सुभाष पंवार से दिनांक 21.04.2006 को होने के पश्चात् उसके एवं अभियुक्त से सामान्य विवाद हो गया था। साक्षी ने अग्रेतर व्यक्त किया कि सामान्य विवाद के संबंध में उसने अभियुक्त के विरूद्ध राजेन्द्र नगर पुलिस थाने में प्रदर्श पी. 01 का आवेदन दिया था तथा उक्त आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 पंजीबद्ध दर्ज की गई थी, पुलिस ने प्रदर्श पी. 03 का घटना स्थल का मानचित्र बनाया था तथा उसके द्वारा प्रस्तुत करने पर पुलिस ने शादी के कार्ड की रंगीन छायाप्रति, शादी के व अन्य फोटो कुल 12, पुत्र प्रज्ञान के सेंट नाबर्ड स्कूल की फीस की डिटेल की छायाप्रति, दूध डेरी के अनपेड बिल की कॉपी, घर के एम.पी.ई.बी. के अनपेड बिल माह जुलाई से अक्टूबर 2021 तक, इन्दौर परस्पर सहकारी बैंक का जप्ती का नोटिस एवं नोटिस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 04 तैयार किये गये थे। साक्षी ने लेखी आवेदन–पत्र प्रदर्श पी. 01, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 02, घटना स्थल का मानचित्र प्रदर्श पी. 03 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 04 पर उसके हस्ताक्षर को सम्यक् रुप से प्रमाणित किया है।

7 फरियादी प्रवीणा पंवार अ.सा. 01 ने स्वप्रेरणा से अभियुक्त के द्वारा फरियादी से तानाकसी व मारपीट कर तलाक देने की धमकी देकर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कथन नहीं किया है एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में अनुज्ञेय अन्य प्रश्न पूछे जाने पर पति सुभाष द्वारा उसे पसंद नहीं करने और शादी के एक महीने बाद दिनांक 23.05.2006 के बाद से ही उससे मारपीट करने तथा नित प्रतिदिन किसी न किसी बात पर मारपीट कर पसंद नहीं होने से तलाक देने अन्यथा उसे परेशान करने का कहने, पति द्वारा दोनों बच्चों

पर भी हाथ उठाने और उसे चप्पल जूतों से मारने, पति द्वारा घर पर ध्यान नहीं देने और खानाखर्चा भी नहीं देने और तलाक नहीं देने पर उसे घरखर्च के रुपये नहीं देने का कहने और तलाक देकर दूसरी शादी करने की धमकी देने, पति द्वारा 15 वर्षों से बिना किसी कारण के उसके साथ मारपीट करने और शिकायत करने पर उसे और बच्चों को जान से खत्म करने की धमकी देने, पति के मोबाईल से किसी महिला मित्र के फोटो देखने तथा पति द्वारा उस महिला के कारण उसे तलाक देना चाहने और तलाक देने के लिए विगत् 15 वर्षों से मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करने, परिवार पर ध्यान नहीं देने और बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने, पति द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में मम्मी, बहन व भाई को कई बार बताया बताने लेकिन पति के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आने, के तथ्य से स्पष्ट प्रात्याख्यान किया है। फरियादी प्रवीणा पंवार अ.सा. 01 द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन की ओर से शेष साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8 स्वयं फरियादी ने उसके एवं अभियुक्त के मध्य सामान्य विवाद होने के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध लेखी आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रकट करते हुए अभियुक्त द्वारा तानाकसी व मारपीट कर तलाक देने की धमकी देकर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित करना व उसे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देने, के तथ्य से स्पष्ट प्रात्याख्यान किया है। फरियादी प्रवीणा पंवार अ.सा. 01 ने उसके साथ आक्षेपित दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रवीणा पंवार से शादी होने के उपरांत पति होते हुए फरियादी से तानाकसी व मारपीट कर तलाक देने की धमकी देकर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर

क्रूरता कारित एवं उसे व बच्चों को जान से मारने की धमकी देना प्रकट नहीं किया है। अतः आक्षेपित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त के द्वारा फरियादी प्रवीणा पंवार से शादी होने के उपरांत पति होते हुए फरियादी से तानाकसी व मारपीट कर तलाक देने की धमकी देकर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की जाना एवं फरियादी व बच्चों को जान से मारने की धमकी देना, भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

अंतिम निष्कर्ष :–

9 अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त के द्वारा आक्षेपित दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रवीणा पंवार से शादी होने के उपरांत पति होते हुए फरियादी से तानाकसी व मारपीट कर तलाक देने की धमकी देकर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की एवं फरियादी प्रवीणा पंवार एवं उसके दोनों बच्चों को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। **अतः अभियुक्त सुभाष पंवार, आयु–42 वर्ष, आत्मज श्री भेरुलाल पंवार, निवासी–ग्राम बांगला पोस्ट बाछिनपुर, तहसील व जिला धार (मध्य प्रदेश) हा.मु. 493–एस सेक्टर सिलीकान सिटी, जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए व 506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

10 अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति शादी के कार्ड की रंगीन छायाप्रति, शादी के व अन्य फोटो कुल 12, पुत्र प्रज्ञान के सेंट नाबर्ड स्कूल की फीस

की डिटेल की छायाप्रति, दूध डेरी के अनपेड बिल की कॉपी, मेरे घर के एम.पी.ई.बी. के अनपेड बिल माह जुलाई से अक्टूबर 2021 तक, इन्दौर परस्पर सहकारी बैंक का जप्ती का नोटिस एवं नोटिस, जो अभिलेख को नष्ट किए जाने के नियमानुसार नष्ट की जाए। अपील की स्थिति में माननीय अपीलीय आदेश का पालन हो।

12 अभियुक्त के निरोध की अवधि के संबंध में बी.एन.एस.एस. की धारा 468 के अंतर्गत प्रमाण तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जाये।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मिनी गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला इन्दौर (म0प्र0)

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

MINI GUPTA
Digitally signed by MINI GUPTA
Date: 2026.08.11 17:29:36 +0530

(मिनी गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला इन्दौर (म0प्र0)